रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112020-223041
CG-DL-E-11112020-223041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2020/कार्तिक 15, 1942
No. 473] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2020/KARTIKA 15, 1942

क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र

(राष्ट्रिय महत्ता की संस्था, संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2020

सं. आरसीबी/एए/2020/01.—क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र अधिनियम, 2016 (2016 के 36वें) की धारा 32 की उप–धारा (4) के अनुसार अपेक्षित वर्ष 2018–19 के लिए क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र का वार्षिक लेखा तथा लेखा–परीक्षा प्रमाण–पत्र प्रकाशित किया जा रहा है।

(क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र)

31 मार्च, 2019 का तुलन पत्र

राशि (रु. में)

देयताएं	अनुसूची	31.03.2019	31.03.2018
समग्र निधि/पूंजीगत निधि	1	567,200,541	158,946,572
आरक्षिति एवं आधिक्य	2	9,303,113	415,012
चिन्हित/अक्षय निधि	3	–	–
प्रतिभूतित ऋण एवं उधार	4	–	–
अप्रतिभूतित ऋण एवं उधार	5	–	–
आस्थगित उधार देयताएं	6	–	–
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	7	1,489,084,474	611,393,319

बॉयोटेक साइंस कलस्टर (बीएससी)			2,288,971,991
कुल		**2,065,588,128**	**3,059,726,894**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्ति	8	556,533,012	143,210,252
चिह्नित/अक्ष्य निधि से निवेश	9	–	–
निवेश – अन्य	10	521,817,706	257,597,100
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	297,719,145	554,855,187
बॉयोटेक साइंस कलस्टर (बीएससी)			
क. प्रगतिशील पूंजीगत कार्य		689,518,265	1,986,973,829
ख. बीएससी निर्माण हेतु अग्रिम		–	106,243,350
ग. अल्पावधि जमा निधि		–	3,400,000
घ. प्रोद्भूद ब्याज व टीडीएस		–	7,447,176
विविध व्यय		–	
(बट्टेखाता अथवा समायोजन के योग्य नहीं हो)			
कुल		**2,065,588,128**	**3,059,726,894**
लेखों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा टिप्पणियां	24		
आकस्मिक देयताएं	25		

अनुसूची 1 से 25 लेखों का अभिन्न अंग हैं।

(सी.बी. यादव)	(डॉ. दीपिका भास्कर)	(डॉ. सुधांशु व्रती)
प्रशा. अधि. (वित्त)	कुलसचिव	कार्यपालक निदेशक

स्थान : फरीदाबाद
दिनांकः 20.06.2019

क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

देयताएं	अनुसूची	31.03.2019	31.03.2018
बिक्री/सेवा से आय	12	7,563,715	–
अनुदान/सब्सिडी	13	235,270,777	200,748,262
शुल्क/चंदा	14	2,809,111	6,062,801
निवेष से आय	15	–	–
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	–	–
अर्जित ब्याज	17	–	4,507,343
अन्य आय	18	4,196,271	796,720
तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी (घटोतरी)/प्रगतिशील कार्य	19	–	–
आस्थगित आय–अचल परिसंपत्तियां		46,668,435	57,653,664
कुल (क)		**296,508,309**	**269,768,790**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	67,872,066	103,415,910
अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि	21	168,579,707	108,699,216
अनुदान, सब्सिडी इत्यादि पर व्यय	22	–	–

ब्याज	23	–	–
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के समदर्शी वर्ष के अंत में निवल योग)		46,668,435	57,653,664
पूर्वावधि समायोजन खाता (अनु.–क)		–	–
कुल (ख)		**283,120,208**	**269,768,790**
व्यय पर आय से अधिक शेष (क–ख)		**13,388,101**	–
विशेष आरक्षिति में अंतरण (प्रत्येक दर्शाएं)			–
सामान्य आरक्षिति में/से अंतरण			–
शेष आधिक्य/अक्षत निधि/पूंजीगत निधि में आगे ले जाया गया		**13,388,101**	
लेखों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा टिप्पणियां	24		
आकस्मिक देयताएं	25		

अनुसूची 1 से 25 लेखों का अभिन्न अंग हैं।

(सी.बी. यादव) (डॉ. दीपिका भास्कर) (डॉ. सुधांशु व्रती)

प्रशा. अधि. (वित्त) कुलसचिव कार्यपालक निदेशक

स्थान : फरीदाबाद
दिनांकः 20.06.2019

क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र

अनुसूची 24ः 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र और आय–व्यय लेखा का भाग बनाने वाली लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियां

1. वार्षिक लेखा को एक्स्ट्रामूरल तथा अन्य परियोजना अनुदान के अतिरिक्त लेखाकरण की प्रोद्भूत प्रणाली के संशोधित प्रारूप में बनाया गया है।

2. चूंकि दिनांक 1.3.2019 को आरसीबी के बिल पारित किए जाने तथा उसके बाद सितंबर 2017 के दौरान स्वीकृत परिनियम, अध्यादेश एवं विनियमों को अधिसूचित किए जाने के उपरांत केन्द्र में ग्रेच्युटी तथा छुट्टी के नकदीकरण से संबंधित देयताओं को आरसीबी की अनुमोदित सेवा शर्तों के अनुसार वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लेखों में शामिल किया गया है।

3. (क) आवृति अनुदानों को आय–व्यय लेखों में मान्यता दी गई है तथा गैर–आवृति अनुदानों को पूंजी के भाग के रूप में दर्शाया गया है।

   (ख) मूल्यह्रास स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित कोर निधियों के लिए अनुदान को आस्थगित आय मानते हुए इस प्रकार की परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि के व्यवस्थित एवं विवेकशील आधार पर इनको आय एवं व्यय खातों में मान्यता दी जाती है अर्थात ऐसे अनुदान को उस अवधि तथा अनुपात में बतौर आय आबंटित किया जाता है जिसके लिए मूल्यह्रास (लेखा मानक 12 के अनुसार) लिया गया है।इस प्रकार के अनुदान से संबंधित वर्ष के दौरान 4,66,68,435.00 रु. की राशि को बतौर आय मान्यता प्रदान की गई ।

4. (क) आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियों की स्थापना/उपयोग में लाने की तिथि से मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। विगत वर्ष के दौरान निर्धारित दर के अनुसार ही मूल्यह्रास लिया गया है।

   (ख) मूल्यह्रास अधिग्रहित वर्ष के दौरान लिया गया है तथा बेची गई/उपयोगीहीन परिसंपत्तियों के लिए वर्ष के दौरान मूल्यह्रास नहीं दिया गया है। वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों से प्राप्तियों/कटौतियों के संबंध में मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर लिया जाता है।

5. (क) जैवप्रौद्योगिकी विभागसे प्राप्त मुख्य अनुदानों से स्थायी परिसपंत्तियां सृजित की गई हैं। परियोजना निधियों से आपूर्तिगत किसी भी उपकरण को अभी तक पूंजीगत नहीं किया गया है।

   (ख) स्थायी परिसंपत्तियों को आवक मालभाड़ा, शुल्क तथा कर एवं अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक तथा प्रत्यक्ष खर्च सहित लागत अधिग्रहण में दर्शाया जाता है।

6. रसायन, शीशे का सामान, उपभोग्य पदार्थ तथा लेखन सामग्री को वर्ष के अंत में भंडार शेष की गणना किए बिना खरीद के समय ही इनका उपभोग दर्शाया गया है।

7. इसके अतिरिक्त खातों में उपभोज्य/उपकरणों या अन्य स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद से संबंधित सभी प्रविष्टियों को संतोषजनक जांच/स्थापना रिपोर्ट जमा करने के समय ही पारित किया जा रहा है भले ही आपूर्तियों/उपकरणों की वास्तविक प्राप्ति की तिथि अन्यथा रही हो।

8. विदेशी मुद्रा में की गई लेनदेन को अमुक लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर लेखाबद्ध किया जाता है।

9. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक निर्मुक्तियों से इतर विभिन्न लेखा शीर्षों के अतर्गत स्वीकृत बजट के अनुसार संस्थान की विभिन्न परियोजनाओं पर आवृति व्यय हेतु एक नीति है। चूंकि प्रायोजित एजेंसी द्वारा जारी वास्तविक धनराशि विभिन्न घटकों के अधीन होती है, इसलिए यह राशि अनुमोदित खाता शीर्षों पर परियोजना की संपूर्ण स्वीकृति की परिसीमा में ही व्यय की जा रही है।

10. विगत वर्ष के शेष को आवश्यकतानुसार पुनः व्यवस्थित कर संबंधित शीर्ष के अंतर्गत तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

11. प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग कंसलटेन्ट (इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड) द्वारा यथासूचित एनसीआर बीएससी में अन्य भवनों के साथ–साथ संस्थान के भवन निर्माण पर खर्च तथा आकस्मिक उपरिव्यय को प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में जोड़कर पीएमसी द्वारा अंतिम किए गए खातों के जमा करने के बाद ही भवन के साथ पूंजीगत किया जाता है। यह परियोजना एक समझौते के तहत संचालित की जा रही है जिसमें एनसीआर बॉयोटेक साइंस क्लस्टर द्वारा एक एस्क्रो अकाउंट का प्रचालन निश्चित किया गया है। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (परियोजना प्रबंधन कंसलटेन्ट) है।

12. संस्थान को फरीदाबाद स्थित परिसर के निर्माण के चरण 1 हेतु विभिन्न संस्थानों से 1406.10 लाख रु. (आरसीबी सहित) अंशदान प्राप्त हुआ है। इसके समेकित विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	घटक भागीदार	1.4.2018 को आरंभिक शेष	2018–19 के दौरान प्राप्तियां	31.03.2019 को कुल प्राप्तियां
1	टीएचएसटीआई	0.00	450.00	450.00
2	आरसीबी	0.00	369.00	369.00
3	एनसीआर–बीएससी प्रोजेक्ट	567.00	00.00	567.00
4	बीएससी निधियों के निवेश पर ब्याज	9.32	20.10	20.10
	कुल	**576.32**	**839.10**	**1406.10**

13. प्रगतिशील पूंजीगत कार्य लेखाबद्ध किए गए हैं जिसमें एटीपीसी तथा बॉयो–इंक्यूबेटर की प्रयोगशालाओं और छात्रावास एवं संकाय आवास व टीएचएसटीआई, आरसीबी की फेस–1 व फेस–2 के विस्तार के तहत कॉमन सुविधाओं का निर्माण कार्य सम्मिलित हैं। फेस–1 के तहत व्यय को संबंधित हितधारकों को उनके अंशदान तथा क्षेत्रवार व्यय के अनुसार अंतरित किया गया था।

14. वर्ष 2018–19 केदौरान बचत बैंक खाता तथा सावधि जमा पर अर्जित ब्याज की 199.40 लाख रु. की राशि सभी संबंधितों को यथाअनुपात आधार पर आबंटित की जा चुकी है।

अनुसूची 25– आकस्मिक देयताएं

1. वर्ष 2018–19 के दौरान आर्डर किए गए 2,68,71,725.00 रु. की राशि के उपभोज्य पदार्थों के परचेज ऑर्डर दिनांक 31.03.2019 तक बकाया हैं जिन्हें बहीखातों में मान्यता नहीं दी गई है।

2. वर्ष 2018–19 के दौरान आर्डर किए गए 2,42,57,161.00 रु. की राशि के उपकरणों के परचेज ऑर्डर दिनांक 31.03.2019 तक बकाया हैं जिन्हें बहीखातों में मान्यता नहीं दी गई है।

(सी.बी. यादव) (डॉ. दीपिका भास्कर) (डॉ. सुधांशु व्रती)

प्रशा. अधि. (वित्त) कुलसचिव कार्यपालक निदेशक

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक: 20.06.2019

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अँग्रेजी में लिखित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमे कोई विसंक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमे कोई विसंगति परिलक्षित गति परिलक्षित होती है तो अँग्रेजी में होती है तो अँग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिको केन्द्र, फरीदाबाद के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने आरसीबी अधिनियम, 2016 की धारा 32 (1) के साथ पठित लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अधीन क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद के संलग्न 31 मार्च 2019 को तुलन पत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय–व्यय खाता/प्राप्ति एवं भुगतान खातों की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण आरसीबी प्रबंधन का दायित्व हैं। हमारा दायित्व हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ लेखापद्धतियों, लेखा मानकों तथा प्रकटन मानदंडों आदि के अनुरूप वर्गीकरण से संबंधित लेखा व्यवहारों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां निहित हैं। वित्तीय लेनदेन पर कानून, नियम एवं विनियम (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा कार्यकुशलता–सह–निष्पादन पहलु, इत्यादि, के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, यदि कोई हों, तो इन्हें निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से सूचित किया जाता है।

3. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत अपेक्षा की जाती है कि हम वित्तीय विवरणों के सभी प्रकार की तथ्यजनक भ्रांतियों से मुक्त होने के बारे में कारणोचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा की योजना तैयार कर उसे निष्पादित करें। लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटन हेतु उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की नमूना जांच आधार पर परीक्षण करना सम्मिलित होता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के मूल्यांकन के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल किया जाता है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा प्रदत्त राय हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करती है।

4. हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर सूचित करते हैं कि :

(i) हमने समस्त सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण, सिवाये उनके जो रिपोर्ट में उल्लिखित हैं, प्राप्त किए हैं जो हमारे विवेकानुसार इस लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;

(ii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय–व्यय खाता तथा प्राप्ति एवं भुगतान खातों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है;

(iii) हमारी राय में, इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित दस्तावेजों को छोड़कर, आरसीबी द्वारा बहीखातों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों को ठीक प्रकार से बनाए रखने की उचित व्यवस्था की है।

(iv) हम यह भी सूचित करते हैं कि:

(क) तुलनपत्र

क. 1. वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान (अनुसूची 7) 148.90 करोड़ रु.

क. 1.1 प्रावधान – 3.16 करोड़ रु.

उपरोक्त में वर्ष 2018–19 से संबंधित खर्च का 52 लाख रु. का प्रावधान निहित नहीं था, जिसका भुगतान अप्रैल 2019 में किया गया था। परिणामस्वरुप वर्ष के दौरान वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों में तथा खर्च में 52 लाख रु. कम दर्शाया जाना दृष्टिगोचर हुआ है।

क. 2 परिसंपत्तियां

क. 2.1 अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 8–124.60 करोड़ रु.)

क. 2.1.1 उपरोक्त में वर्ष 2018–19 के दौरान 3.38 करोड़ रु.[(1)] का खरीदा गया स्टॉक सम्मिलित नहीं है।

फलस्वरूप समग्र निधि/पूंजीगत निधि सहित स्थायी परिसंपत्तियों के अंतर्गत 3.38 करोड़ रु. की राशि का कम दर्शाया जाना दृष्टिगोचर हुआ है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त पर मूल्यह्रास की वसूली भी नहीं की गई। परिणामस्वरूप व्यय तदनुसार कम दर्शाया गया।

क. 2.1.2 प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (68.95 करोड़ रु.)

उपरोक्त में 68.95 करोड़ रु.[(2)] की अचल परिसंपत्तियां सम्मिलित हैं (सितंबर 2016 में पूर्ण कर केन्द्र को सौंप दिया गया था)। परिणामस्वरूप, वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास नहीं लिया गया। इस प्रकार, फर्नीचर तथा फिक्सचर; प्रयोगशाला उपकरण; कार्यालय उपकरण तथा भवनों की राशि क्रमशः 0.02 करोड़ रु., 0.19 करोड़ रु., 0.03 करोड़ रु. तथा 68.71 करोड़ रु. कम दर्शायी गई है जबकि प्रगतिशील कार्य की राशि 68.95 करोड़ रु. अधिक दर्शायी गई है।

(ख) सामान्य

केन्द्र जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पोषित मुख्य अनुदान से तथा मूल रूप से पोषित एक्स्ट्रामूलर परियोजनाओं एवं कुछ अन्य वित्त पोषण एजेंसियों से निधि प्राप्त करता है। केन्द्र इन निधियों के लिए अलग खाते नहीं रखता है। वर्ष 2018–19 के दौरान अप्रयुक्त संचयी निधियों को सावधी जमा में निवेश किया गया। इस प्रकार की संचयी निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि (2.39 करोड़ रु.) को वर्ष के अंत में पूर्व निर्धारित फॉमूला[(3)] पर बांटा गया तथा मुख्य अनुदान पर अर्जित ब्याज (1.80 करोड़ रु.) निर्धारित करने के उपरांत अनुसूची 7 में जैवप्रौद्योगिकी विभाग को तदनुसार सूचित किया गया। मुख्य अनुदान तथा परियोजना अनुदान के लिए अलग–अलग खाता तैयार किया जाना चाहिए।

[1]कंप्यूटर तथा पेरीफरल	: 66.67 लाख रु.
विद्युत संयंत्र	: 18.65 लाख रु.
प्रयोगशाला उपकरण	: 192.85 लाख रु.
फर्नीचर तथा फिक्सचर	: 40.23 लाख रु.
कार्यालय उपकरण	: 19.69 लाख रु.

[2]व्यय की राशि आरसीबी; फरीदाबाद, टीएचएसटीआई, फरीदाबाद और एनआईआई, नई दिल्ली में बांटा जाना था जो अभी तक लंबित है।

[3]संबंधित परियोजना अनुदान शीर्ष के तहत औसत त्रैमासिक अंतः शेष पर 3.5 प्रतिशत की साधारण ब्याज दर से सभी परियोजनाओं को ब्याज राशि आबंटित करना।

(ग) अनुदान सहायता

आरसीबी को वर्ष 2018–19 के दौरान डीबीटी से 33.92 करोड़ रु. का कुल अनुदान प्राप्त हुआ, जिसके अतिरिक्त वर्ष 2017–18 के 0.48 करोड़ रु. के अव्ययित अनुदान को आगे ले जाया गया है। वर्ष के दौरान खर्च के लिए 36.20 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध थी, में आरसीबी ने 34.15 करोड़ रु. खर्च किया। इस प्रकार केन्द्र के पास 31 मार्च 2019 को 2.04 करोड़ रु. का शेष उपलब्ध था।

(घ) प्रबंधन को पत्र

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारी/सुधारक कार्रवाई हेतु अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से आरसीबी के संज्ञान में लाया गया है।

(v) पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित हमें प्रस्तुत किए गए तुलनपत्र, आय–व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाता बहीखातों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय और प्राप्त सूचना तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, खातों पर लेखा नीतियों एवं टिप्पणियों के साथ पठित उपरोक्त वित्तीय विवरण जो उक्त वर्णित उल्लेखनीय विषयों तथा इस लेखापरीक्षा के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन हैं, के आधार पर भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं स्पष्ट निरूपण प्रकट करते हैं

(क) जहां तक 31 मार्च 2019 तक तुलनपत्र तथा आरसीबी के क्रियाकलापों का संबंध है, एवं

(ख) जहां तक आय–व्यय खातों का संबंध है जो उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष पाया गया।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांकः 22.11.2019

स्थान : नई दिल्ली

महानिदेशक लेखापरीक्षा

(वैज्ञानिक विभाग)

डॉ. दीपिका भास्कर, कुल सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./335/2020–21]

<u>अनुलग्नक – 1</u>

क. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

मार्च 2017 तक की अवधि के लिए क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र (आरसीबी) की आंतरिक लेखापरीक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा की गई।

वर्ष 2010–14 तक की अवधि के लिए एक टिप्पणी तथा वर्ष 2014–17 की अवधि के लिए 12 टिप्पणियां अगस्त 2019 तक लंबित थीं।

ख. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कमियां पाई गईंः

ख.1 केन्द्र द्वारा निवेश रजिस्टर तैयार नहीं किया गया।

ख.2 केन्द्र सावधी जमा रजिस्टर तैयार नहीं किया गया।

ख.3 न तो कैशबुक निर्धारित प्रारूप में तैयार की जा रही है और न ही सांविधिक प्रमाण–पत्र रिकार्ड किए जा रहे हैं अथवा इनसे संबंधित जांच की जा रही है।

ग. अचल परिसंपत्तियों की भौतिक जांच प्रक्रिया

आरसीबी में अचल परिसंपत्तियों के लिए जीएफआर–22 फार्म में नियम 211 (ii) (a) के अनुसार रजिस्टर नहीं बनाया गया है, यह भी देखा गया कि अचल परिसंपत्तियों की भौतिक जांच कभी नहीं की गई है।

घ. वस्तु सूची की भौतिक जांच प्रक्रिया

31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए उपभोग्य मदों तथा सामग्री की भौतिक जांच की जा चुकी है तथा कोई कमी दृष्टिगोचर नहीं हुई।

ड. सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितताएं

आरसीबी सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता का पालन करता है। 31 मार्च 2019 को शुल्क एवं करों के रूप में 12.65 लाख रु. की राशि बकाया थी।

<u>अनुलग्नक –'क'</u>

(i) पूर्वावधि व्ययः 2.22 करोड़ रु. – अनुसूची 21

इसके अंतर्गत वर्ष के दौरान विगत वर्षों के 1.56 करोड़ रु. के व्यय की राशि सम्मिलित नहीं है। फलस्वरूप 1.56 करोड़ रु. के पूर्वावधि व्यय कम दर्शाए गए हैं तथा समान राशि को स्थापना व्यय/अन्य प्रशासनिक व्ययों में अधिक दिखाया गया है।

(ii) वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिमः (अनुसूची 11: 29.77 करोड़ रु.) में वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक खातों में दर्शाए गए 31 मार्च 2019 को अंतिम शेष 14.68 करोड़ रु. में 7.51 करोड़ रु. की राशि सम्मिलित नहीं है जबकि 31 मार्च 2019 तक चैक जारी किए गए जिन्हें बैंकों में जमा नहीं किया गया। इसी प्रकार चैक प्राप्ति पर उनका नकदीकरण नहीं किया गया था।

महानिदेशक लेखापरीक्षा (एसडी)

REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY

(Institution of National Importance set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2020

No. RCB/AA/2020/01.—The Annual Accounts of the Regional Centre for Biotechnology for the year 2018-19 and Auditors report thereon are published as required under Section 32 (4) of the Regional Centre for Biotechnology Act 2016 (36 of 2016).

REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2019

LIABILITIES	**Schedule**	**31.03.2019**	**31.03.2018**
Corpus / Capital Fund	1	56,72,00,541	15,89,46,572
Reserves and Surplus	2	93,03,113	4,15,012
Earmarked/Endowment Funds	3	-	-
Secured Loans and Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans and Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities and Provisions	7	1,48,90,84,474	61,13,93,319
BIOTECH SCIENCE CLUSTER (BSC)			2,28,89,71,991
TOTAL		**2,06,55,88,128**	**3,05,97,26,894**
ASSETS			
Fixed Assets	8	55,65,33,012	14,32,10,252
Investment From Earmarked/Endowment Funds	9	-	-
Investment-Others	10	52,18,17,706	25,75,97,100
Current Assets, Loans, Advances etc.	11	29,77,19,145	55,48,55,187
BIOTECH SCIENCE CLUSTER (BSC)	8		
a. Capital Work in Progress		68,95,18,265	1,98,69,73,829
b. Advance to BSC Construction		-	10,62,43,350
c. Funds in short term deposits		-	34,00,000
d. Accrued interest & TDS		-	74,47,176
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	

TOTAL		**2,06,55,88,128**	**3,05,97,26,894**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES ON ACCOUNTS	24		
CONTINGENT LIABILITIES	25		

Schedules 1 to 25 form an integral part of Accounts.

(C.B. YADAV) (DR. DEEPIKA BHASKAR) (DR. SUDHANSHU VRATI)
AO (FINANCE) REGISTTAR EXECUTIVE DIRECTOR

Place: Faridabad
Date: 20-06-2019

REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

INCOME	**Schedule**	**31.03.2019**	**31.03.2018**
Income from Sales/ Services	12	75,63,715	-
Grants/Subsides	13	23,52,70,777	20,07,48,262
Fees/Subscriptions	14	28,09,111	60,62,801
Income from Investments	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	-	-
Interest Earned	17	-	45,07,343
Other Income	18	41,96,271	7,96,720
Increase/(Decrease) in stock of Finished goods and works in progress	19	-	-
Deferred Income-Fixed Assets		4,66,68,435	5,76,53,664
TOTAL (A)		**29,65,08,309**	**26,97,68,790**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	6,78,72,066	10,34,15,910
Other Administrative Expenses etc.	21	16,85,79,707	10,86,99,216
Expenditure on Grants , Subsidies etc.	22	-	-
Interest	23	-	-
Depreciation (Net Total at the year-end-corresponding to Schedule 8)		4,66,68,435	5,76,53,664
Prior period Adjustment A/c (ANN-A)		-	-
TOTAL(B)		**28,31,20,208**	**26,97,68,790**
Balance being excess of Income Over Expenditure (A-B)		**1,33,88,101**	**-**
Transfer to special Reserve(Specify each)			-
Transfer to /from General Reserve			-
BALANCE BEING SURPLUS /DEFICIT CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		**1,33,88,101**	**-**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES ON ACCOUNTS	24		
CONTINGENT LIABILITIES	25		

Schedules 1 to 25 form an integral part of Accounts.

(C.B. YADAV) (DR. DEEPIKA BHASKAR) (DR. SUDHANSHU VRATI)
AO (FINANCE) REGISTRAR EXECUTIVE DIRECTOR

Place: Faridabad
Date: 20-06-2019

Regional Centre for Biotechnology

Schedule 24: Accounting Policies and Notes Forming Parts of the Balance Sheet and Income & Expenditure Account for the Year Ended at 31st March, 2019

1. The annual accounts have been prepared in the revised format of accrual system of accounting, except for extramural funds and other project grants.
2. Since the RCB bill has been passed and notified on 1.3.2017 and thereafter the Statutes, Ordinances and regulations approved during September 2017, the liabilities on account of Gratuity & leave encashment of the Centre has been incorporated in the accounts for FY 2018-19 in accordance with the approved service conditions of the RCB, based on actuarial valuation.
3. (a) Recurring Grants have been recognised in the Income & Expenditure account and non-recurring Grants have been shown as part of capital.

   (b) Grants for core funds relatable to depreciable fixed assets are treated as deferred income and recognised in the Income and Expenditure Account on a systematic and rational basis over the useful life of such assets i.e. such grants are allocated to income over the periods and in the proportions in which depreciation in charged (As per Accounting Standard 12). During the year income recognised in respect of such Grants amounts to Rs. 4,66,68,435.00
4. (a) The depreciation has been provided w.e.f. the date of installation/put to use of fixed assets as per the rates prescribed by Income Tax Act 1961. During the previous year depreciation has been charged at per rate prescribed.

   (b) Depreciation has been charged during the year of acquisition and no depreciation is provided during the year of assets sold / discarded. In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis. Rate of depreciation is annexed.
5. (a) Fixed assets have been created with core grants received from the Department of Biotechnology. No equipment procured out of project funds have yet been capitalized.

   (b) Fixed Assets are stated at cost acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.
6. All purchases of chemicals, glassware, consumables and stationary have been charged to consumption at the time of purchase without working out closing stock at the end of the year.
7. Further all entries relating to purchase of consumables /equipments or other fixed assets in accounts are being passed only at the time of submission of satisfactory inspection/installation report irrespective of the date of actual receipt of the supplies / equipments.
8. Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of transaction.
9. The institute has a policy of incurring expenditure on various projects in accordance with the sanctioned budget under various heads of accounts irrespective of the actual releases during a financial year. Since the actual release of money by the sponsoring agency is subject to various factors, the expenditure on approved heads of accounts is being incurred within the overall sanction of the project.
10. The balances of the previous year have been rearranged as per requirement and shown in Balance Sheet against the relevant heads.
11. Expenses and Overheads incidental to construction of building of institute as well as other buildings in the NCR BSC, as reported by the Project Monitoring Consultant (Engineers India Limited), are added to the capital work in progress to be capitalized along with the building, only on submission of final accounts by the PMC. The project is being operated with an agreement which stipulates operation of an Escrow Account by NCR Biotech Science Cluster. The authorized signatories are Engineers India Ltd. (Project Management Consultant)
12. The Institute has received contribution of Rs.1406.10 Lakhs (including RCB) from various institutes for the under Phase II of the construction of campus at Faridabad. The consolidated details are as under:

Rs. In lakhs)

Sl.No	Constituent Partner	Opening Balance as on 1.4.2018	Received during 2018-19	Total receipts on 31.3.2019
1	THSTI	0.00	450.00	450.00
2.	RCB	0.00	369.00	369.00
3.	NCR – BSC Project	567.00	00.00	567.00
4.	Interest on investment of BSC	9.32	20.10	20.10

	funds			
	Total	576.32	839.10	1406.10

13. The Capital Work-in-progress booked in the accounts includes the construction of laboratory buildings of ATPC, Bio-incubator and hostels & faculty housing and common facilities etc. of THSTI, RCB, under Phase-I Extension and Phase-II. The expenditure under Phase-I was transferred to the respective stakeholders as per their contribution and area wise expenditure.

14. Interest earned on saving bank account and fixed deposits during the financial year 2018-19 of Rs.199.40 Lakhs has allocated to the respective projects on pro-rata basis.

Schedule 25: Contingent Liabilities

1. Purchase orders for consumables worth Rs.2,68,71,725.00 ordered during 2018-19 are outstanding as on 31.3.2019 which have not been recognized in the books of accounts.
2. Purchase orders for Equipment worth Rs.2,42,57,161.00 ordered during 2018-19 are outstanding as on 31.3.2019 which have not been recognized in the books of accounts.

(C B Yadav)
Administrative Officer (F&A)

(Dr. Deepika Bhaskar)
Registrar

(Dr. Sudhanshu Vrati)
Executive Director

Place: Faridabad
Date: 20/06/2019

Separate Audit Report of Comptroller and Auditor General of India on the accounts of Regional Centre for Biotechnology, Faridabad for the year ended 31 March 2019

We have audited the attached Balance Sheet of Regional Centre for Biotechnology (RCB), Faridabad at 31 March 2019 and the Income and Expenditure Account/ Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with section 32 (1) of RCB Act, 2016. These financial statements are the responsibility of the RCB's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ Comptroller and Auditor General's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that –

   (i) We have obtained all the information and explanations except those stated in the report, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

   (ii) The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India;

   (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by RCB, except those stated in this audit report.

   (iv) We further report that:

A. BALANCE SHEET

A.1 Current Liabilities & Provisions- (Schedule 7) Rs. 148.90 crore

A.1.1 Provision- Rs. 3.16 crore

Above did not contain the provision of Rs. 52 lakh for expenses pertaining to 2018-19, the payments for which were made in the month of April 2019. This has resulted in understatement of Current Liabilities and Provision as well as expenditure during the year by Rs. 52 lakh.

A.2 Assets

A.2.1 Fixed Assets (Schedule 8- Rs. 124.60 crore)

A.2.1.1 Above does not include stock amounting to Rs. 3.38 crore[1] purchased during 2018-19. This resulted in understatement of Fixed assets as well as Corpus/Capital fund by Rs. 3.38 crore Further, the depreciation on the above stock has also not been charged resulting in understatement of expenditure to that extent.

A.2.1.2 Capital Work in Progress (Rs. 68.95 crore)

Above included fixed assets (completed and handed over to the Centre in September 2016) amounting to Rs. 68.95 crore[2]. As a result, the assets were not depreciated from 2016-17 to 2018-19 too. Thus Furniture & Fixture; Lab Equipment; Office Equipment and Building were understated by Rs. 0.02 crore; 0.19 crore; 0.03 crore and Rs. 68.71 crore chile work in progress was overstated by Rs. 68.95 crore.

B. General :

The Centre receives funds against core grants- funded by DBT and extra-mural projects- primarily funded from DBT and from some other funding agencies. The Centre does not keep these funds in separate accounts. The cumulative unutilized funds were deposited in fixed deposits during 2018-19. The interest accrued on such cumulative funds (Rs. 2.39 crore) was further apportioned at the end of the year on a pre-decided formula[3] and interest on core grants was decided and reported to DBT (Rs. 1.80 crore) in Schedule 7 after such exercise. Separate bank account for core and project grants should be maintained.

---

[1]Computer and Peripherals amounting to Rs. 66.67 lakh;

Electrical Installation amounting to Rs. 18.65 lakh;

Lab Equpment amounting to Rs. 192.85 lakh;

Furniture and Fixture amounting to Rs. 40.23 lakh;

Office Equipment amounting to Rs. 19.69

[2]This expenditure was to be apportioned between RCB, Faridabad; THSTI, Faridabad and NII, New Delhi. Apportionment is yet to be carried out

[3]Allocating interest to all the projects at a simple interest rate of 3.5% on average quarterly closing balance under respective project grant head

C. Grants-in-Aid

RCB received total grant of Rs 33.92 crore from DBT during 2018-19, besides having carried forward unspent grant of Rs 0.48 crore for the year 2017-18. Rs. 36.29 crore was available for expenditure during the year. RCB utilized Rs 34.15 crore during the year leaving a closing balance of Rs. 2.04 crore on 31st March 2019.

D. Management Letter : - Deficiencies which have not been included in the audit report have been brought to the notice of RCB through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report five a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of the RCB, Faridabad as of 31 March 2019; and

(b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of CAG of India

Dated : 22.11.2019
Place : New Delhi

Director General of Audit
(Scientific Departments)

Dr. DEEPIKA BHASKAR, Registrar
[ADVT.-III/4/Exty./335/2020-21]

ANNEXURE-I

A. Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit of the Regional Centre for Biotechnology (RCB) was conducted by the internal audit wing of Ministry of Science & Technology, New Delhi for a period upto March 2017.

B. Adequacy of Internal Control System

Following deficiencies in relation to internal control system were observed:
B.1 Investment register was not maintained by the Centre
B.2. Fixed deposit register was not maintained by the Centre
B.3 Cash book was not being maintained in the prescribed format nor were any statutory certificates recorded or checks being conducted on the same.

C. System of Physical Verification of Fixed Assets

Register of fixed assets was not being maintained in RCB as per Rule 21.1 (ii) (a) in Form GFR22, it was further observed that physical verification of fixed assets has never been conducted.

D. System of physical verification of inventory

The physical verification of consumable items and materials had been carried out for the period upto 31 March 2018 and no discrepancy was reported.

E. Regularity in payment of statutory dues:

The Centre was regular in payment of statutory dues. An amount of Rs. 12.65 lakhs was due as duties and taxes to be paid as of 31 March 2019.

Annexure-A

(i) **Prior Period Expenses: Rs. 2.22 Crore – Schedule 21**

This did not include Rs. 1.56 crore being expenses for the previous years, paid during the year. This resulted in understatement of Prior Period Expenses by Rs. 1.56 crore and overstatement of Establishment Expenses/Other Administrative Expenses by the same extent.

(ii) **Current Assets, Loans and Advances** (Schedule 11: Rs. 29.77 crore) did not include Rs. 7.51 crore in the annual accounts for the year 2018-19 against Rs. 14.68 crore closing balance on 31st March 2019 certified by the banks on account of cheques issued but not presented and cheques received but not encashed.

Director General of Audit (SD)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM